

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./एग्रिफिनिटी इंड.674/2277

भोपाल, दिनांक 18/01/2023

प्रति

मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड,
(M/s AGRIFINITY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED)
ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया 2, मंडीदीप,
जिला रायसेन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ - मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड का आवेदन दिनांक 19/09/2022।

मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक में आवेदन दिनांक 19/09/2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश के कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज, इटारसी, पिपरिया, नर्मदापुरम, डबरा, दतिया, गंजबासौदा, विदिशा, गुना, रायसेन, बरेली, उदयपुरा, सिलवानी, बैरसिया, बकतरा एवं अशोकनगर के मंडी प्रांगण एवं उप मंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज धान के क्रय हेतु अनुमति चाही गई है।

2. मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा मंडी समितियों के लागू उपविधि सन 2000 कंडिका 18(3) में निर्धारित प्ररूप-छः में एक दिन की अधिकतम रुपये 20 लाख मूल्य की कृषि उपज खरीदी करने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा विनिर्दिष्ट मंडियों में खरीदी हेतु प्रतिभूति स्वरूप रुपये 20 लाख की बैंक ऑफ बडौदा बैंक की एफडीआर दिनांक 25/11/2022 मंडी बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 29/12/2023 तक है।

4. मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच में करार, प्ररूप-छः विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय में, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात में पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ में दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय / निर्गमन के संबंध में, उपाबंध-दो में पाक्षिकी विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी / विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

6. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स एग्रिफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड को कृषि उपज मंडी प्रांगण औबेदुल्लागंज, इटारसी, पिपरिया, नर्मदापुरम, डबरा, दतिया, गंजबासौदा, विदिशा, गुना, रायसेन, बरेली, उदयपुरा, सिलवानी, बैरसिया, बकतरा एवं अशोकनगर में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय-विक्रय के लिए, अनन्तिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

Cm 18/01/23
(जी व्ही रश्मि)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि

1. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ सागर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड मंडीदीप जिला - रायसेन को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 में उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।
2. कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... (समस्त) (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड मंडीदीप जिला - रायसेन को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।
3. अपर संचालक (आईटी सेल), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारक मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड मंडीदीप जिला - रायसेन को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में कराने हेतु।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/ 26 दिनांक 18/01/2023

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स **एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड (AGRIFINITY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED)**, पता - ई-2, न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन को अधिनियम की धारा-32 क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख...।३. माह ...०।...वर्ष ...२०२३...को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है :-

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारोबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गई है/ नवीनीकृत की गई	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1.	"धान्य तथा दलहन"	औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
2.	"धान्य तथा दलहन"	इटारसी जिला नर्मदापुरम	कृषि उपज मंडी समिति इटारसी जिला नर्मदापुरम	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927

3.	"धान्य तथा दलहन"	पिपरिया जिला नर्मदापुरम	कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया जिला नर्मदापुरम	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
4.	"धान्य तथा दलहन"	नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम	कृषि उपज मंडी समिति नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
5.	"धान्य तथा दलहन"	गंजबासौदा जिला विदिशा	कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा जिला विदिशा	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
6.	"धान्य तथा दलहन"	विदिशा जिला विदिशा	कृषि उपज मंडी समिति विदिशा जिला विदिशा	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
7.	"धान्य तथा दलहन"	रायसेन जिला रायसेन	कृषि उपज मंडी समिति रायसेन जिला रायसेन	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
8.	"धान्य तथा दलहन"	उदयपुरा जिला रायसेन	कृषि उपज मंडी समिति उदयपुरा जिला रायसेन	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
9.	"धान्य तथा दलहन"	बरेली जिला रायसेन	कृषि उपज मंडी समिति बरेली जिला	-	मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं-

			रायसेन		इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	9810075927
10.	"धान्य तथा दलहन"	सिलवानी जिला रायसेन	कृषि उपज मंडी समिति रायसेन जिला रायसेन		मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
11.	"धान्य तथा दलहन"	बैरसिया जिला बैरसिया जिला भोपाल	कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया जिला भोपाल		मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
12.	"धान्य तथा दलहन"	बकतरा जिला सीहोर	कृषि उपज मंडी समिति बकतरा जिला सीहोर		मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
13.	"धान्य तथा दलहन"	डबरा जिला ग्वालियर	कृषि उपज मंडी समिति डबरा जिला ग्वालियर		मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
14.	"धान्य तथा दलहन"	दतिया जिला दतिया	कृषि उपज मंडी समिति दतिया जिला दतिया		मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
15.	"धान्य तथा दलहन"	गुना जिला गुना	कृषि उपज मंडी समिति गुना जिला गुना		मेसर्स एग्रीफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, ई-2, नई इंडस्ट्रीयल एरिया II, मंडीदीप जिला रायसेन	श्री अशोक कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
16.	"धान्य	अशोकनगर	कृषि उपज		मेसर्स एग्रीफिनिटी	श्री अशोक

तथा दलहन"	जिला अशोकनगर	मंडी समिति अशोकनगर जिला अशोकनगर	इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस्ट्रीयल मंडीदीप जिला	प्रायवेट ई-2, नई एरिया II, रायसेन	कुमार गोयल मो.नं- 9810075927
--------------	-----------------	--	---	--	------------------------------------

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मीट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	"धान्य तथा दलहन"	2000 मे०टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंतिम अनुज्ञप्ति दिनांक .../01/2023 से .../01/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

5 यह अंतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी:-
(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

- (तीन) मण्डी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य दस्तावेज मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
- (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-समय पर मा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
- (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा विहित नियत-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर,
- (छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाने पर,
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर,

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता

कार्यालय की मोहर



21/10/23

अधिसूचित प्रबंध संचालक अधिकारी

प्रबंध संचालक अधिकारी/अध्यक्ष

मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)